रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273656
CG-DL-E-19062026-273656

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948
No. 450] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

सं. 12/2026-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 501(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "पॉलीइथाईलीन टेरेफ्थालेट रेज़िन जिसकी आंतरिक श्यानता 0.72 डेसीलिटर प्रति ग्राम या उससे अधिक हो" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों 3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30 और 3907 69 90 के अंतर्गत आती है, के आयातों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 27 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 216(अ), दिनांक 27 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 07/15/2025-डीजीटीआर, दिनांक 23 सितम्बर, 2025, जिसे दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम

की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 07/15/2025-डीजीटीआर, दिनांक 20 मार्च, 2026, जिसे दिनांक 20 मार्च, 2026 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) संबंधित देश के सभी उत्पादकों के लिए डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है;

(ii) लागू शुल्कों के बावजूद आयात में उल्लेखनीय रूप से उच्च दर से वृद्धि हुई है। इसलिए, शुल्क न होने की स्थिति में आयात में और वृद्धि होने की संभावना है;

(iii) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। शुल्क न होने की स्थिति में आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाने या कम करने की संभावना है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के लिए सिफारिश की है;

अतः अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 27 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 216(अ), दिनांक 27 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30 और 3907 69 90	पॉलीइथाईलीन टेरेफ्थालेट रेज़िन जिसकी आंतरिक श्यानता 0.72 डेसीलिटर प्रति ग्राम या उससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी	200.66	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	200.66	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

*बोतल-ग्रेड पीईटी रेजिन, रिसाइकिल्ड पीईटी रेजिन को छोड़कर।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण.– इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतीकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/36/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

No. 12/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 501(E).— Whereas, the designated authority, *vide* notification number 07/15/2025-DGTR dated the 23rd September, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd September, 2025, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Polyethylene Terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30 and 3907 69 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 18/2021-Customs (ADD) dated the 27th March 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 216(E), dated the 27th March 2021;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification number 07/15/2025-DGTR, dated the 20th March 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 20th March 2026, has come to the conclusion that-

(i) the dumping margin and injury margin for all producers from the subject country is positive and significant;

(ii) the imports have increased at a significantly high rate, notwithstanding the duties in force. Therefore, in the absence of duty, the imports are likely to increase further;

(iii) the imports are undercutting the prices of the domestic industry. In the absence of duties, the imports are likely to suppress or depress the prices of the domestic industry,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 18/2021-Customs (ADD) dated 27th March 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 216(E), dated the 27th March 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the TABLE below, falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (7), as per unit of measurement (UOM) as specified in the corresponding entry in column (8) and in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) of the said TABLE, namely :-

TABLE

S. No.	Tariff items	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30, and 3907 69 90	Polyethylene Terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher*	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any	200.66	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	200.66	MT	USD

* Bottle-grade PET resin, excluding recycled PET resin

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation*.**- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190349/36/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.19 23:14:16 +05'30'